फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

पत्रांकः 53/2012(मान0) /वि0प्रा0/2019 दिनांक : 22-05-2019

:–अनुज्ञा पत्र–:

सेवा में,

श्री गिरधारी लाल मनोहर लाल रियल टच प्रा0लि0,
डायरेक्टर श्री अजय कुमार अग्रवाल पुत्र
श्री कैलाश नारायण अग्रवाल,
निवासी–560, जलेसर रोड, फिरोजाबाद।

आपका आवेदन पत्र दिनांक 18.10.2012 मानचित्र सं0 53/2012 के सन्दर्भ में आपके द्वारा प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र स्थल–आराजी सं0 102/2(भाग) मिलिकखॉन जहॉनपुर, फिरोजाबाद पर उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 20.01.2013 को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है। (स्वीकृत मानचित्र संलग्न है)

01 यह मानचित्र निर्गत दिनांक से केवल पॉच वर्ष तक वैध है। इसके पश्चात नवीनीकरण कराना होगा।

02 मानचित्र अनुमति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

03 जिस प्रयोजन के लिये निर्माण की अनुमति दी जा रही है, भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–26 के अधीन दण्डनीय है। यदि भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होगा तो मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

04 उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा–35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मॉगा जायेगा, तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।

05 जो क्षेत्र/भूमि विकास कार्य के लिये उपयुक्त नहीं होगा, वहॉ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।

06 स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा, ताकि मौके पर कभी भी जॉच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।

07 आप भवन उप–नियमों के नियम–21 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देगे।

08 निर्माण की अवधि में स्वीकृत मानचित्र के विरूद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है, तो उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद परिवर्तन किया जायेगा।

09 निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप–नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।

10 प्राधिकरण से भवन पूर्णता प्रमाण प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूयपायी) करेंगे।

11 ग्रुप हाउसिंग में रूफ टाप रेन वाटर हार्वेस्टिंग/ग्राउन्ड रिचार्जिंग का निर्माण कार्य अनिवार्य रूप से कराना होगा।

12 अपने भूखण्ड के परिसर में कम से कम **50** पेड़ लगाने होंगे।

13 उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन करने पर, कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत कराने पर मानचित्र निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

14 निम्नलिखित शर्तो के साथ मानचित्र निर्गत किया जा रहा है–

1. ग्रुप हाउसिंग मानचित्र में सड़क आदि का पानी ड्रेन के माध्यम से मुख्य सड़क (एन0एच0–2) पर पूर्व निर्मित नाले में जोड़ने हेतु नियमानुसार एन0एच0ए0आई0 से अनुमति प्राप्त करके ही डिस्पोजल का कार्य किया जायेगा।
2. योजना में विद्युतीकरण हेतु स्वंय के हर्जे–खर्चे पर विद्युत विभाग से अनुमति प्राप्त कर विद्युतीकरण का कार्य कराया जायेगा।
3. पेयजल व्यवस्था हेतु स्वंय टयूबवैल/जलाश्य का निर्माण कराया जायेगा।
4. सीवरेज के लिये प्रस्तावित सैप्टिक टैंक/सोकपिट आदि की नियमित रख–रखाव का कार्य स्वंय करना होगा।
5. शासनादेश के अनुसार प्रस्तावित ई0डब्लू0एस0/एल0आई0जी0 के भूखण्डों का आवंटन जिलाधिकारी/उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में विकासकर्ता के प्रतिनिधि के माध्यम से किया जायेगा।
6. फायर हाइड्रेन्ट आदि का नियमानुसार प्राविधान कराना होगा।
7. विकास कार्य पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बिना पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किये किसी भवन का उपयोग/उपभोग नहीं किया जायेगा।
8. रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था प्रस्तावित मानचित्र में दर्शायी गयी है। अध्यासन से पूर्व रेन वाटर हार्वेस्टिंग का निर्माण किये जाने के पश्चात पूर्णताः प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

संलग्नकः–

स्वीकृत मानचित्र की प्रति।

22/5/2020

सचिव,
फिरो0–शिको0 विकास प्राधिकरण,
फिरोजाबाद।